

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/2348

दिनांक- 23/3/2021

### आदेश

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये गये थे। महाविद्यालय को प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेपित (Forward) करने एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी कर, स्वीकृतशुदा आवेदन पत्रों का संबंधित विद्यार्थियों का जन आधार कार्ड (जनआधार पोर्टल) में अंकित बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान करने आदि के लिये निम्नानुसार संशोधित तिथि प्रस्तावित की जाती है :-

क्रसं	विषय वस्तु/छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित तिथियां
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना - वर्ष-2020-21	विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर आवेदन की प्रारम्भ तिथि 29.10.2020 एवं अंतिम तिथि 15.3.2021
2	महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (प्राचार्य, जिला नोडल अधिकारी) को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	30 मार्च 2021

जिला नोडल अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होते ही उसकी जाँच पश्चात् अनुमोदन कर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी कर बिल कोषालय से पारित कराकर राशि हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(संदेश नायक, आई.एस.एम.)  
आयुक्त

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा  
राजस्थान, जयपुर


क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/2349-73

दिनांक- 23/3/2021

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।

7. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
11. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
12. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
15. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर (समस्त)
17. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
18. संयुक्त निदेशक (अकादमिक), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
20. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
21. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा विश्वविद्यालय कोटा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर/बृज विश्वविद्यालय भरतपुर, गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बासवाड़ा, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय समस्त राजस्थान।
22. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक,राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल,समस्त राजस्थान।
23. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार वेबसाइट पर अपलोड करवाने।
24. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
25. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय राजस्थान को समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप ऑनलाईन आवेदन जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

  
 (एच.आर.मेवार)  
 वित्तीय सलाहकार